ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्र. 4500-तेरह-2004.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (2) के खण्ड (थ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए अपील प्राधिकारी को अपील नियम, 2004 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी वितरण कंपनियों के निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 127 के अधीन अपील के प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है :—

(1) 15 हार्स पावर तक के समस्त निम्नदाब (लो टेन्शन) संयोजन के लिए सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी;

(2) 15 हार्स पावर से अधिक के समस्त निम्नदाब (लो टेन्शन) संयोजन के लिए कार्यपालन यंत्री से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी;

(3) समस्त उच्चदाब (हाई टेन्शन) संयोजन के लिए अधीक्षण यंत्री से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी:

परन्तु विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अधीन कोई अपील, उक्त अधिनियम की धारा 126 के अधीन पदाभिहित निर्धारण अधिकारी से कम से कम एक उच्चतर श्रेणी के अधिकारी के समक्ष होगी.

No. 4500-XIII-2004.—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Appeal to Appellate Authority Rules, 2004 made by the Central Government under clause (y) of sub section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby designates the following Gazetted Officers of the Madhya Pradesh State Electricity Board or its distribution companies, as appellate authority for the purposes of appeal under Section 127 of the said Act .—

(1) An Officer not below the rank of Assistant Engineer for all (Low Tension) connections up to 15 Horse Power;

(2) An Officer not below the rank of Executive Engineer for all Low Tension connections of more than 15 Horse Power; and

(3) An Officer not below the rank of Superintending Engineer for all High Tension Connections :

Provided that an appeal under Section 127 of the Electricity Act, 2003, shall lie before and officer of atleast one higher rank than the assessing officer designated under Section 126 of the said Act.

क्र. 4502-तेरह-2004.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 152 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी वितरण कंपनियों के निम्नलिखित अधिकारियों को किसी ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत् की चोरी का अपराध किया है या जिस पर ऐसा अपराध किये जाने का युक्तियुक्त रूप से संदेह हो, उक्त अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अपराध का प्रशमन करने के तौर पर धनराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत करती है :—

(1) 15 हार्स पावर तक की समस्त निम्नदाब (लो टेन्शन) संस्थापनों के लिए कार्यपालन यंत्री,

(2) 15 हार्स पावर से अधिक की समस्त निम्नदाब (लो टेन्शन) संस्थापनों के लिए अधीक्षण यंत्री, और

(3) समस्त उच्चदाब (हाई टेन्शन) संस्थापनों के लिए मुख्य अभियंता.

No. 4502-XIII-2004.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 152 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby authorizes the following officers of the Madhya Pradesh State Electricity Board or its distribution companies, to accept from any consumer or person who committed or who is reasonably suspected of having committed an offence of theft of electricity punishable under the said Act, a sum of money by way of compounding of the offence as specified in the Table of sub-section (1) of Section 152 of the said Act:—

(1) Executive Engineer for all Low Tension installations upto 15 Horse Power;

(2) Superintending Engineer for all Low Tension installations of more than 15 Horse Power; and

(3) Chief Engineer for all High Tension installations.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, प्रमुख सचिव.